न्यायालय मुंसिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—87 सन् 2007

सुजित कुमार साह वगैरह...................वादीगण।

बनाम

रमेश कुमार सिंह वो अन्य ....प्रतिवादीगण।

दिनांक—21.02.2024

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख प्रतिवादी की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त बहाल करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 18.10.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी का आवेदन में कथन है कि वादी काफी शोख वो जबरदस्त व्यक्ति हैं तथा प्रतिवादी की भूमि से इन्हें बेदखल कर नया निर्माण कार्य करना प्रारंभ कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में किसी अधिवक्ता आयुक्त को बहाल कर तकरारी जमीन की वर्तमान वस्तु स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन मंगाना जरूरी है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त वाद में किसी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर तकरारी एराजी के निस्वत प्रतिवेदन मंगाने की कृपा प्रदान की जाए।

वादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 29.11.2023 को दाखिल कर कथन है कि प्रतिवादी का सवाल गलत गैर कानूनी और बेबुनियाद है। उपरोक्त वाद की तकरारी जमीन पर आवासीय इजमाल पारिवारिक मकान स्थित है जिस पर आवासीय मकान स्थित है। जिसमें वादी निवास करते हैं। प्रतिवादी ने बिन्दु नं0 01 में खाता नं0 927 प्लॉट नं0 3749 का रकबा 1 कठा दिया है जो गलत है। तकरारी जमीन का बिना सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त के वर्तमान स्थिति की जानकारी संभव नहीं है, क्योंकि तकरारी जमीन के सटे ही वादीगण की अपनी और खरीदगी जमीन है। जिसका इस मोकदमा में तकरार नहीं है। जिससे अधिवक्ता आयुक्त किस प्रकार प्रतिवेदन देंगे कि तकरारी जमीन कहां तक और किस प्रकार है। वादीगण द्वारा दाखिल अर्जीदावी इस आवेदन का अंश है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त स्थिति में प्रतिवादी का सवाल साथ खर्चा के खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी तकरारी एराजी का स्थल निरीक्षण करने हेतु अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करने हेतु आवेदन दाखिल किया है। प्रतिवादी का आवेदन में कथन है कि वादी काफी शोख वो जबरदस्त व्यक्ति हैं तथा प्रतिवादी की भूमि से इन्हें बेदखल कर नया निर्माण कार्य करना प्रारंभ कर दिए हैं। ऐसी परिस्थिति में तकरारी एराजी का वर्तमान भौतिक स्वरूप अभिलेख पर आना वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 18.10.2023 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 3000/–रूपया नजारत में जमा करें। अधिवक्ता आयुक्त के रूप में श्री राजू रजक को नियुक्ति किया जाता है।

वाद दिनांक....................को वाद बिन्दु के निर्धारण हेतु।

मुंसिफ

सोनपुर, सारण।